न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर

प्रकरण संख्या– 54/2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं राजस्थान भू राजस्व (भू.अ.) नियम 1957 के नियम 58, 59 व 60 एच 66,86 के अन्तर्गत स्थायी रूप से चालू रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित कराने बावत ।

दिनांक 10.02.2025

आदेश

तहसीलदार मनियां द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं राजस्थान भू राजस्व (भू.अ.) नियम 1957 के नियम 58, 59 व 60 एच 66,86 के अन्तर्गत ग्राम बगचोली खार के आराजी ख.नं. 680/762 किस्म बा0सो0 रकवा 0.1644 है0 में से 0.0379 है0, 688 किस्म बा0दो0 रकवा 0.4173 है0 में से 0.0298 व 689 किस्म बा0दो0 रकवा 0.4046 है0 में से 0.0392 है0 भूमि पर चालू रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित नक्शा, नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया है। उक्त रास्ता बगचौली खार एनएच–44 से बोथपुरा की ओर जाने वाले रास्ते का भाग है। रास्ता वर्तमान में चालू है। जिसकी चौडाई लगभग 30 फीट है। डामर रोड डला हुआ है। लगभग 40 वर्षो से चालू है। ख.नं. 680/762 पर न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर से खसरा नम्बरान की मध्य मेढ को आगामी आदेश तक नष्ट नही करने का नोट लगा हुआ है। भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि नही है। अतः उनके द्वारा आम जन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना उचित बताया है।

हमने तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ संलग्न नक्शा ट्रेस एवं नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया। आराजी खसरा नम्बर 680/762, 688, 689 ग्राम बगचौली खार रामौतार, रामधार, रामप्रकाश, हरीसिंह पुत्रगण राजाराम जाति गुर्जर सा0 कासगंज मजरा हिनौता की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.(2)राज–6/2003 पार्ट दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि /निजि खातेदारी की भूमि में से मौके पर स्थाई रूप से चालू एंव राजस्व नक्शे में रेखा बिन्दुओ से दर्ज सार्वजनिक रास्ते ई जगह जहां कच्ची या पक्की सडक भी बन गई है को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने तु उपखण्ड अधिकारियो को शक्तियां प्रदान की गई है। उपरोक्तानुसार राज्य सरकार द्वारा दत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तावित भूमि को राजस्व कॉर्ड एंव राजस्व मानचित्र में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाना चेत समझती हूँ

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

अतः आदेश है कि ग्राम बगचौली खार के आराजी खसरा नम्बर 680/762 रकवा 0.1644 है0 में से 0.0379 है0, 688 रकवा 0.4173 है0 में से 0.0298 है0 तथा 689 रकवा 0.4046 है0 में से 0.0392 है0 भूमि जिस पर रास्ता मौके पर चालू है, सडक डली है एवं उपयोग में आ रहा है की किस्म राजस्व रिकॉर्ड एंव राजस्व मानचित्र में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है शेष रकवा यथावत रहेगा। पूर्ण रकवा यथावत खातेदार की खातेदारी में दर्ज रहेगी केवल किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज की जावेगी। तहसीलदार धौलपुर को आदेश दिया जाता है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रस्तावित मानचित्र अनुसार राजस्व मानचित्र में लाल स्याही से तरमीम की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर
धौलपुर (राज0)

दिनांकः 10.03.25

क्रमांकः कोर्ट/रास्ता प्रकरण/2025/426-427

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1. श्रीमान जिला कलक्टर धौलपुर
2. तहसीलदार मनियां को पालना हेतु प्रेषित है। पालना सुनिश्चित कर रिपोर्ट से अवगत करावें।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर
धौलपुर (राज0)